

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाबता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता  
राजस्व वाद संख्या :- 187/2023

1. पारूल पुत्री रोहिताश नावालिंग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी 5 के.एच.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. दिशा पुत्री रोहिताश नावालिंग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी 5 के.एच.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पत्नी स्व० रोहिताश जाति जाट निवासी 5 के.एच.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी 5 के.एच.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रविश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 5 के.एच.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. शैलेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 5 के.एच.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

खाता अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा, खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 05.09.2024



वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनेलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.09.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादीगण संख्या 1 ता 3 को 40है०व० प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 सी.डी.आर. के खाता संख्या 127/20 में अंकित 3.542 हैक्टर में से किस्तुशी देवी पत्नी सोहनलाल का 2/7 हिस्सा चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 के पत्थर नम्बर 233/209(56) किला नम्बर 23/2/0.072 हैक्टर, पत्थर नम्बर 233/210(57) किला नम्बर 3/0.025 हैक्टर पूर्वी हिस्से में उत्तर से दक्षिण (140 फुट लम्बाई में)।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 के पत्थर नम्बर 236/209(53) किला नम्बर 19 ता 22/1.012 हैक्टर। चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 145/144 का कुल रकबा 1.594 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर व चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 27/24 का कुल रकबा 1.012 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 रविश कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 145/144 में कुल रकबा 1.594 हैक्टर में से 0.582 हैक्टर रकबा। चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 के पत्थर नम्बर 233/210(57) किला नम्बर 8/0.101 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 के पत्थर नम्बर 233/210(57) किला नम्बर 3/1/0.152

- हैक्टर उत्तरी हिरसा, पत्थर नम्बर 236/209(53) किला नम्बर 11/2/0038, 12/1/0.038, 13/2/0.032, 18/0.063, 23/0.051 कुल एकवा 0.374 हैक्टर।
- (ड) प्रतिवादी संख्या 2 रविश कुमार, प्रतिवादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार पिसरान सोहनलाल 2/3 हिरसा, वादी संख्या 3 सुमन पत्नी स्व0 रोहिताश, वादीया संख्या 1 पारूल, वादीया संख्या 2 दिशा पुत्रीयान स्व0 रोहिताश 4/3 हिरसा 40हि040 चक नम्बर 5 के.एच.आर. खाता संख्या 247/223 पत्थर नम्बर 234/209(55) किला नम्बर 7/1/0.202 हैक्टर, चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 80/81 कुल 0.380 हैक्टर संयुक्त खाते में सोहनलाल का 1/3 हिरसा।
- (घ) प्रतिवादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार पि0 सोहनलाल 1/2 हिरसा, वादी संख्या 3 सुमन पत्नी स्व0 रोहिताश, वादीया संख्या 1 पारूल, वादीया संख्या 2 दिशा पुत्रीया स्व0 रोहिताश 1/2 हिरसा 40हि040 - चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 के पत्थर नम्बर 233/210(57) किला नम्बर 3/2/0038 हैक्टर दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम 165 फुट लम्बाई।
- (ङ) प्रतिवादी संख्या 3 शैलेन्द्र कुमार को चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 के पत्थर नम्बर 234/209(55) किला नम्बर 1/1/0.227, 1/3/0.013 हैक्टर कुल 0.240 हैक्टर।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसूच्य वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करने तथा चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 247/223 में से सोहनलाल का हिरसा कम, चक नम्बर 5 के.एच.आर. के खाता संख्या 80/81 में से सोहनलाल का नाम कलमजन, चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 145/144 में से सोहनलाल का हिरसा कम, चक नम्बर 1 सी.डी.आर. के खाता संख्या 127/20 में से किस्तुरी देवी का नाम कलमजन, चक नम्बर 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 27/24 में से किस्तुरी देवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किरसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)  
जुम्हरे अधिकारी एगुम  
सहेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		